भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-151

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

पाठ्य पुस्तक समीक्षा समिति की सिफारिशें

151. **श्री मनोज तिवारी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पाठ्य पुस्तक समीक्षा समिति की सिफारिशों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय की भागीदारी बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या पाठ्य पुस्तक समीक्षा समिति द्वारा शिक्षा मंत्रालय की भागीदारी से राज्य विशिष्ट सांस्कृतिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गये हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ-एसई), 2023 के अनुसरण में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने विभिन्न विषय क्षेत्रों में कक्षा 3-12 के लिए नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण-अधिगम सामग्री समिति (एनएसटीसी) का गठन किया है। एनएसटीसी के तहत, नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करने और उनकी समीक्षा करने के लिए 13 पाठ्यचर्या क्षेत्र समूहों (सीएजी) का गठन किया गया था। प्रत्येक सीएजी के तहत, प्रत्येक संबंधित पाठ्यपुस्तक के लिए एक अलग पाठ्यपुस्तक विकास दल (टीडीटी) का गठन किया गया है। एनएसटीसी पाठ्यपुस्तकों के विकास और समीक्षा की पूरी प्रक्रिया का मार्गदर्शन कर रहा है। एनसीएफ-एसई के परिप्रेक्ष्य को पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा निरीक्षण समिति का भी गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, एनईपी, 2020 में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि *"राज्य अपनी स्वयं की पाठ्यचर्या तैयार करेंगे (जो यथासंभव एनसीईआरटी द्वारा तैयार एनसीएफएसई पर आधारित हो सकती है) और आवश्यकतानुसार राज्य के स्वरूप और सामग्री को शामिल करते हुए पाठ्यपुस्तकें तैयार करेंगे (जो यथासंभव एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक सामग्री पर आधारित हो सकती है)। ऐसा करते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानदंड के रूप में लिया जाएगा।"*

*****